

# स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद की

मण्डोला विहार योजना गाज़ियाबाद के सेक्टर-6 में विभिन्न प्रकार के

स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड भवनों को प्राप्त करने का

## सुनहरा अवसर

भवनों का विवरण

**रेरा पंजीकरण संख्या**  
**UPRERAPRJ623188**  
website : [www.up-rera.in](http://www.up-rera.in)

**ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि**  
**15.08.2022 से**  
**15.10.2022 तक**

क्रम सं०	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)		पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि समायोजन उपरान्त प्रथम किस्त की अनुमानित धनराशि (₹ लाख में)		अवशेष धनराशि 04 तिमाही किस्तों में (₹ लाख में)
							सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	
1	35/60	अल्प आय वर्ग	54	60.59	35.94	22.40	2.24	1.12	4.04	5.16	4.03
2	36/75	अल्प आय वर्ग	33	75.00	35.93	25.90	2.58	1.29	4.68	5.97	4.66
3	66/112	मध्यम आय वर्ग	28	112.50	66.80	41.10	4.10	2.05	7.40	9.45	7.40
4	95/162	मध्यम आय वर्ग	17	162.00	95.53	58.35	5.82	2.91	10.53	13.44	10.50

### नियम व शर्तें

- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किस्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में आनलाइन जमा की जा सकेगी।
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. एवं आनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर सामान्य ब्याज दर के साथ अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाए 9 प्रतिशत 2 प्रतिशत की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसके लिए आवंटनी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदनों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी झा द्वारा किया जाएगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किस्तों पर प्राप्त आवेदन के मध्य सार्वजनिक लाटरी झा से कार्यवाही की जाएगी।
- आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमत्य होगी। लाटरी झा सर्वप्रथम एक मुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात् भवन अवशेष रहते हैं तो किस्तों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य लाटरी झा द्वारा आवंटन किया जायेगा।

### नोट

- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं यह निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- भवनों का भौतिक कब्जा दिनांक **31.12.2023** तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।

### विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

<b>ई० डी०वी० सिंह</b> अधीक्षण अभियन्ता बागपत मो० नं०: 8795810036	<b>ई० राजीव कुमार</b> अधीक्षण अभियन्ता मेरठ जौन, मेरठ मो० नं०: 8588877002
<b>ई० फरान असलम</b> अधिशास्त्री अभियन्ता नि०रख० बागपत-01 मो० नं०: 8795811694	<b>ई० अतुल कुमार सिंह</b> अधिशास्त्री अभियन्ता नि०रख० बागपत-02 मो० नं०: 9711206126
<b>ई० सत्येन्द्र सिंह</b> अधिशास्त्री अभियन्ता नि०रख० बागपत-03 मो० नं०: 8826836312	<b>श्री केशव राम</b> सहायक आवास आयुक्त गाज़ियाबाद मो० नं०: 7705003066

### आनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

#### एच०डी०एफ०सी० बैंक

पता : 4/5 ओम प्लाना सेक्टर-15सी वसुधरा, गाज़ियाबाद  
श्री आयुष पाण्डेय - मो० नं० : 9999234987

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें  
1800-180-5333 (टेल फ्री) दूरभाष 0522-2236803  
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।